भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4744
दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं

4744. श्री सनातन पांडेयः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सुधारों का महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन सुधारों से महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत सरकार ने महिलाओं सहित सभी लोगों को सुलभ एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर पड़े समूहों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए, भारत सरकार द्वारा महिलाओं सहित सभी के लिए देश में एनएचएम के तहत विभिन्न पहल की गई हैं, जिनमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा, 24 x 7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य के तहत विभिन्न कार्यकलाप, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम शामिल हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, सरकार ने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी लागू की हैं:

• **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन)** सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को नि: शुल्क, उन्नत, गरिमापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है और सभी रोकी जा सकने वाली मातृ एवं नवजात मृत्यु को रोकने के लिए सेवाओं से इनकार करने के लिए शून्य सहिष्णुता है।

• **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई),** संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांग संवर्धन और सशर्त नकद हस्तांतरण योजना।

• **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)** के तहत, प्रत्येक गर्भवती महिला सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सीजेरियन सेक्शन सहित नि: शुल्क प्रसव के साथ-साथ नि: शुल्क परिवहन, निदान, दवाइयां, रक्त, अन्य उपभोग्य सामग्रियों और आहार के प्रावधान की हकदार है।

• **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)** गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को एक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी एक निश्चित दिन, नि: शुल्क सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच प्रदान करता है।

• **लक्ष्य** प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थियेटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और प्रसव के तुरंत बाद सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल मिले।

• गर्भवती महिलाओं के लिए देखभाल की गुणवत्ता तक पहुँच में सुधार के लिए जनशक्ति, रक्त भंडारण इकाइयों, रेफरल लिंकेज सुनिश्चित करके **प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) का संचालन।**

• विशेष रूप से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुँच में सुधार के लिए **आउटरीच शिविरों** का प्रावधान किया गया है। इस मंच का उपयोग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक लामबंदी के साथ-साथ उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं को ट्रैक करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है।

• मातृ स्वास्थ्य के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक **सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी),** अंतर-वैयक्तिक संचार (आईपीसी) और **व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी)** कार्यकलापों के माध्यम से मांग उत्पन्न करना है।

भारत के महापंजीयक (आरजीआई) द्वारा जारी मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) संबंधी विशेष बुलेटिन के अनुसार, भारत में एमएमआर में 157 अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है, जो वर्ष 2004-06 में 254 से घटकर वर्ष 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार विभिन्न अन्य प्रमुख मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार इस प्रकार है:

संकेतक	एनएफ़एचएस-3 (2005-06)	एनएफ़एचएस-5 (2019-21)
पहली तिमाही में प्रसवपूर्व जांच	43.9%	70.0%
चार प्रसवपूर्व देखभाल विजिट	37%	58.5%
संस्थागत प्रसव	38.7%	88.6%
कुशल स्वास्थ्य कर्मियों (डॉक्टर/नर्स/एलएचवी/एएनएम/अन्य स्वास्थ्य कर्मियों) द्वारा प्रसव में देखरेख	46.6%	89.4%

*****